



JALAUN POLICE

दिनांक- 17.10.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन श्री सुरेश चन्द्र रावत द्वारा पुलिस लाईन उरई में गोष्ठी की गयी जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक डॉ० ईशान सोनी एवं प्रभारी मॉनीटरिंग सेल श्री परमहंस तिवारी, समस्त कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मुहर्रिर द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा गूगल मीट के माध्यम से प्रतिभाग किया गया है।

पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा गोष्ठी के दौरान न्यायालयों में विचाराधीन गंभीर अपराधों, विशेषकर महिला एवं बाल अपराध, सनसनीखेज मामलों तथा पॉक्सो/एससीएसटी एक्ट से संबंधित प्रकरणों की पैरवी की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रभावी पैरवी के संबंध में समस्त पैरोकारों को निर्देशित किया गया कि वे न्यायालय में नियत तिथियाँ पर गवाहों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कराएं ताकि मुकदमों का शीघ्र निस्तारण हो सके तथा न्यायालय द्वारा जारी समन, जमानती व गैर-जमानती वारंटों की शत-प्रतिशत एवं समयबद्ध तामीली कराने के कड़े निर्देश दिए गए। इस दौरान पैरवी अधिकारी स्कीम के अंतर्गत सनसनीखेज चयनित अपराधों में सघन पैरवी कराकर अपराधियों को कठोरतम सजा कराये जाने के सम्बंध में कोर्ट मुहर्रिर/पैरोकार को निर्देश दिये गये हैं।

गूगल मीट के माध्यम से जुड़े समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि आगामी नवरात्रि/विजय दशमी पर्व के जुलूसों/प्रतिमा विसर्जन को सकुशल संपन्न कराने हेतु अपने-अपने थाना क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों, पूजा पंडालों एवं जुलूस मार्गों पर पुलिस बल के साथ निरंतर पैदल गश्त एवं सघन चेकिंग अभियान चलाएं। स्थानीय धर्मगुरुओं, पूजा समितियों के आयोजकों एवं पीस कमेटी के सदस्यों के साथ तत्काल बैठक कर जुलूस के पारंपरिक मार्गों एवं समय-सारणी का भौतिक सत्यापन कर लें तथा मूर्ति विसर्जन के स्थानों पर सुरक्षात्मक उपाय करने के निर्देश दिये गये एवं किसी भी नई परंपरा की अनुमति न दी जाए।

जनपद में शेष पुरस्कार घोषित अपराधी एवं वांछित अपराधियों की अतिशीघ्र गिरफ्तारी किये जाने एवं अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्यवाही किये जाने के लिये पुलिस बल को निर्देशित किया गया है।

आमजन में सुरक्षा की भावना को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से रात्रि गश्त तथा पिकेट ड्यूटी के संबंध में निर्देशित किया गया कि समस्त महत्वपूर्ण चौराहों, मुख्य मार्गों, वित्तीय संस्थानों (बैंक/एटीएम), सर्राफा बाजारों तथा संवेदनशील/अति-संवेदनशील स्थानों पर पिकेट ड्यूटी को लगाया जाये।